न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 76 / 2024

अनवान : –

1. होशियारीलाल पुत्र जगराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर ।

–प्रार्थी

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र जगराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 27/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि सायल एक काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा सायल की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 223 / 328 के खसरा नं. 41 / 5 की कुल 1.7200 है0 भूमि सायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 330 / 217 के खसरा नं. 41 / 4 की कुल 1.7200 है0 भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व गैरसायल संख्या 1 का खाता विभाजन किया था तथा विभाजन के अनुसार खसरा नं. 41 / 4 सायल एवं खसरा नं. 41 / 5 गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज हुई जो सम्वत 2072–75 की जमाबंदी में दर्ज है परन्तु जमाबंदी को ऑन लाईन करते समय खसरा नं. 41 / 4 गैरसायल संख्या 1 के व खसरा नं. 41 / 5 सायल के नाम सहवन दर्ज हो गई इसलिए राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड में सायल के दर्ज खसरा नं. 41 / 5 की जगह पर 41 / 4 व गैरसायल के खसरा नं. 41 / 4 की जगह खसरा नं. 41 / 5 दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को काफी मर्तबा कहा कि सायल ने गैरसायल संख्या 1 से कई बार निवेदन किया कि वह राजस्व रिकार्ड में सायल के नाम दर्ज खसरा नं. 41 / 5 की जगह खसरा नं. 41 / 4 व गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज खसरा नं. 41 / 4 की जगह पर 41 / 5 दर्ज कर देवे तो गैरसायल संख्या 2 कुछ दिन तो आजकल–आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजि[illegible] जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र [illegible] करते हुए इकबाल पेश किया गया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को [illegible]तराज नही है। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती एवं पटवारी रिपोर्ट की चित्रप्रति व जमाबंदीया पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया सायल व गैरसायल संख्या 1 का खाता विभाजन किया था तथा विभाजन के अनुसार खसरा नं. 41/4 सायल एवं खसरा नं. 41/5 गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज हुई जो सम्वत 2072–75 की जमाबंदी में दर्ज है परन्तु जमाबंदी को ऑन लाईन करते समय खसरा नं. 41/4 गैरसायल संख्या 1 के व खसरा नं. 41/5 सायल के नाम सहवन दर्ज हो गई इसलिए राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड में सायल के दर्ज खसरा नं. 41/5 की जगह पर 41/4 व गैरसायल के खसरा नं. 41/4 की जगह खसरा नं. 41/5 दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी स0 1 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 223/328 के खसरा नं. 41/5 की कुल 1.7200 है0 भूमि सायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 330/217 के खसरा नं. 41/4 की कुल 1.7200 है0 भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि परन्तु जमाबंदी को ऑन लाईन करते समय खसरा नं. 41/4 गैरसायल संख्या 1 के व खसरा नं. 41/5 सायल के नाम सहवन दर्ज हो गई इसलिए राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक उक्त संशोधन किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के ख0न0 41/5 की बजाय खसरा न0 41/4 की कुल 1.7200 हैक्ट भूमि सायल की नाम दर्ज का संशोधन किया जाता है एवं रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के ख0न0 41/4 की की बजाय ख0न0 41/5 की कुल 1.7200 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज का संशोधन किया जाता है। अगर संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 स्वयं जिम्मेदार होगे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/12/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से [illegible] जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:20 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर/सशोधन/2023/1254 दिनांक : 30/12/24

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 76/2024 अनवानी होंशियारीलाल बनाम रामस्वरूप आदि में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 76/2024

अनवान : –

1. होशियारीलाल पुत्र जगराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर ।

–प्रार्थी

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र जगराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के ख0न0 41/5 की बजाय खसरा न0 41/4 की कुल 1.7200 हैक्ट भूमि सायल की नाम दर्ज का संशोधन किया जाता है एवं रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के ख0न0 41/4 की की बजाय ख0न0 41/5 की कुल 1.7200 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज का संशोधन किया जाता है। अगर संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 स्वयं जिम्मेदार होगे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:20 IST
Reason: SelfAttested